रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 R No.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 190] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 1974/वैशाख 4, 1896
No. 190] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 1974/VAISAKHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Vidhi, Nyaya Aur Kampani Karya Mantralaya)
Legislative Department
(Vidhaye Vibhag)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April 1974

S.O. 259(E).—Whereas in the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4(2)/66-Wakf, dated the 28th July, 1973, relating to the appointment of members to the Punjab Wakf Board, Shrimati Sajida Begum, M.L.A., Malerkotla, and Col. K. M. Sayeed, Simla, were appointed as members having regard to the fact that the former is a member of the State Legislative Assembly of Punjab and the latter is a mutawalli;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that Shrimati Sajida Begum, besides being a member of the State Legislative Assembly, is also a mutawalli;

And whereas the first proviso to section 11 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954) prohibits the appointment of more than one mutawalli to a Board of Wakfs and doubts have thus arisen regarding the validity of the appointment of the said Shrimati Sajida Begum and Col. K. M. Sayeed as members of the Punjab Wakf Board;

And whereas the said Col. K. M. Sayeed has sent a letter resigning his membership of the said Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, read with the notifications of the Government of India in the late Ministry of Law (Legislative Department) No. 12(11)/68-Wakf, dated the 3rd July, 1968 and No. F. 4(5)/70-Wakf, dated the 20th June, 1972, issued under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government directs that the aforesaid notification No. 4(2)/66-Wakf, dated the 28th July, 1973, shall, in so far as it relates to the appointment of Shrimati Sajida Begum and Col. K. M. Sayeed as members, stand cancelled and appoints, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India,—

(1) Prof. Abdul Majid Khan, Sanjoli, Simla, being a person having knowledge of administration, and

(2) Smt. Sajida Begum, M.L.A., Malerkotla, being a mutawalli,

as members of the said Punjab Wakf Board.

[No. F. 4(2)/66-Wakf]

R. V. S. PERI SASTRI, Jt. Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 24 अप्रैल, 1974

एस० ओ० 259(अ).—यतः पंजाब वक्फ बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० 4(2)/66—वक्फ, तारीख 28 जुलाई, 1973 में, श्रीमती साजिदा बेगम, एम० एल० ए०, मलेरकोटला और कर्नल के० एम० सयीद, शिमला इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सदस्य नियुक्त किए गए थे कि पूर्व कथित पंजाब राज्य विधान सभा की सदस्या हैं और पश्चात् कथित मुतवल्ली है;

और यतः केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि श्रीमती साजिदा बेगम, राज्य विधान सभा की सदस्या होने के साथ-साथ, मुतवल्ली भी हैं;

और यतः वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 11 का प्रथम परन्तुक किसी वक्फ बोर्ड में एक से अधिक मुतवल्ली की नियुक्ति प्रतिषिद्ध करता है और इस प्रकार उक्त श्रीमती साजिदा बेगम और कर्नल के० एम० सयीद की पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति की विधिमान्यता के संबंध में संदेह पैदा हो गया है;

और यतः उक्त कर्नल के० एम० शयीद ने उक्त बोर्ड की अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देने के लिए एक पत्र भेजा है;

अतः अब, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं० 12(11)/68-वक्फ, तारीख 3 जुलाई, 1968 और सं० फा० 4(5)/70-वक्फ,

तारीख 20 जून, 1972 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि पूर्वोक्त अधिसूचना सं० 4(2)/66-वक्फ, तारीख 28 जुलाई, 1973, जहां तक कि वह श्रीमती साजिदा बेगम और कर्नल के० एम० मयीद की सदस्यों के रूप में नियुक्ति से सम्बन्धित है, रद्द कर दी गई है और वह, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, निम्नलिखित को उक्त पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्य नियुक्त करती है, अर्थात् :—

(1) प्रो० अब्दल मजीद खान, संजौली, शिमला जो ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रशासन का ज्ञान है, और

(2) श्रीमती साजिदा बेगम, एम० एल० ए०, मलेरकोटला जो मुतवल्ली है ।

[एफ 4(2)/66-वक्फ]

आर० वी० एम० पेरि सास्त्रि

संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974